Revival of DD-3 Channel

300. SHRI ANANT RAM JAISWAL:
SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that he has written to the Prime Minister to consider the revival of the DD-3 Channel, but sans live news programme;

(b) whether it is also a fact that the Channel was struck down by the Cabinet before it was to be commissioned two months ago;

(c) if so, whether it is also a fact that several producers who were commissioned for programmes on DD-3 and made heavy investments are knocking on Doordarshan's doors to know the fate of their programmes; and

(d) if so, whether any decision has been taken in this regard, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K- P- SINGH DEO): (a) and (b) The proposal for starting DD-3 Channel is under consideration .

(c) and (d) Programmes prepared by producers for DD-3 after being cleared by Doordarshan are being shown on other channels.

फिल्मों में अश्लीलता का प्रदर्शन

301. श्री अनन्त राम जायसवाल :
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1994 में रिलीज हुई फिल्मों में सफलतम या सफल रहने वाली फिल्मों में कामुकता और हिंसा का अत्यधिक प्रदर्शन किया गया है और गाने अश्लीलता की सारी सीमायें लांघ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी फिल्मों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने का विचार रखती है, और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है या करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और सामाजिक और व्यावहारिक जीवन पर ऐसी फिल्मों के बढ़ते कुप्रभाव के मुद्दे पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) फिल्मों का निर्माण अधिकतर निजी क्षेत्र में होता है और ऐसे में सरकार का उस पर कोई नियन्त्रण नहीं है । तथापि, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए जाने से पूर्व सभी फिल्में अनिवार्यतः केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित की जानी अपेक्षित होती हैं। फिल्मों के प्रमाणन के लिए सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को निर्देशित कर दिया गया है ।

Representation by Association of, Engineering Staff AElec) All India Radio

302. SHRI S. MUTHU MANI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether any representation from the Association of Engineering Staff (Electric), Civil Construction Wing, All India Radio has been received by the Ministry regarding grant of higher pay scales to Junior Engineers (Electric/Civil) of Civil Construction Wing, All India Radio;

(b) if so, what action has been taken by Govt, to consider the said

representation on the basis that such revision of pay scales in other Ministries such as Ministry of Urban Development and Ministry of Communications and the Municipal Corporation of Delhi has beep granted; and

(c) by when the same will be implemented?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) to (c) Yes, Sir. Representations for grant of higher pay scales to Junior Engineers (Electrical/Civil) of Civil Construction Wing, All India Radio have been received and these have been examined from time to time in consultation with concerned Ministries/Departments of the Government. However, the proposal for revision of pay scale has not been agreed to. The Ministry is again considering the issue and as the approval requires involvement of various offices/departments etc., it is not possible to indicate a definite time frame, in which a decision in the matter will be taken.

सूचना संबंधी माध्यमों के लिए स्वतन्त्रता

303. श्री राम जेठमलानी :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सिद्धांत रूप में यह स्वीकार कर लिया है कि देश के सूचना एवं प्रसारण संबंधी सभी माध्यमों को हर प्रकार के नियंत्रण से मुक्त रखा जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आकाशवाणी तथा दूरदर्शन जैसे प्रसारण माध्यमों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखने का भी निर्णय किया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें सरकारी नियंत्रण से कब तक मुक्त किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) सरकार प्रेस के कार्यकलापों में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन करती है और इसके कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करती। सरकार प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

यद्यपि दूरदर्शन और आकाशवाणी सरकारी माध्यम हैं तथापि वे अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों में पूर्व कार्यात्मक स्वायत्ता का उपयोग करते हैं। प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम 1990 में दूरदर्शन और आकाशवाणी को एक निगम के रूप में परिवर्तित करने हेतु प्रावधान निहित है। अधिनियम के विद्यमान प्रावधानों में कुछ परिवर्तन करने के बाद इसे परिचालित करने का प्रस्ताव है।

Programmes on Rural Development and Education on Doordarshan

304. SHRI N. GIRI PRASAD:
SHRI JALALUDD1N ANSARI:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Governments attention has been drawn to the suggestion made by Prof. Padmanabhan, Director of the Indian Institute of Science that two of the Deordarshan channels should be devoted to education and rural development considering the national priority as reported in thr 'Hindu' of 4th February, *1095;* and

(b) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGHI DEO): (a) and (b) The suggestion made by Prof. Padmanabhan, Director of the Indian Institute of Science relating to separate channels devoted to education